



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## यू.ओ. नोट

विषय:— सावर्जनिक सूचना दिनांक 20.10.2022 को जविप्राकी वेबसाईट पर अपलोड किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जोन-10 क्षेत्राधिकार मे स्थिति जोनल विकास योजना 7 मे गोनेर पुलिया से रिंग रोड तक प्रस्तावित 200 फीट सडक के एलाइनमेन्ट मे संशोधन के संबंध मे सावर्जनिक सूचना दिनांक 20.10.2022 को प्रकाशित की गई है जिसे जविप्रा की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।


संलग्न: उपरोक्तानुसार।

  
उपायुक्त (जोन-10)  
जविप्रा, जयपुर।

सिस्टम एनालिस्ट,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन- 10/2022/डी-2535

दिनांक: 21/10/22



क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-10/2022/डी-2526



दिनांक 20/10/2022

### सार्वजनिक सूचना


जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 सी उपधारा (3) के अनुसरण में यह सूचित किया जाता है कि जोनल विकास योजना 7 में गोनेर पुलिया से रिंग रोड तक प्रस्तावित 200 फिट राडक के एलाइमेंट में संशोधन का निर्णय भवन मानचित्र (ले-आउट प्लान) समिति की 323 वीं बैठक दिनांक 24.08.22 में लिया गया है। संशोधन निम्न प्रकार किया जाना प्रस्तावित है:-

गोनेर पुलिया से रिंग रोड तक मौके पर लगभग 18 मीटर चौड़ी बी.टी. रोड निर्मित है। जोनल डवलपमेन्टप्लान प्लानिंग जोन-7 में इस की चौड़ाई 200 फिट दर्शित है। इसे रेलवे सीमा से 200 फीट किया जाना प्रस्तावित है।





इस संबंध में कोई भी संस्था/व्यक्ति/जनसाधारण अपने आपत्ति/सुझाव इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के 30 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के 30 दिवस की अवधि पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्ति/सुझाव परविचार नहीं किया जावेगा। प्रश्नगत सडक के प्रस्ताव का पार्ट प्लान मानचित्र जविप्रा परिसर के जोन 10, कोर्ट भवन, द्वितीय तल जविप्रा, जयपुर व जविप्रा की वेबसाईट पर देखा जा सकता है।

  
(उज्ज्वल राठोड)  
सचिव,  
जविप्रा, जयपुर  






**Legend**

-  60 MTR. PROPOSED ROAD AS PER EXISTING
-  60 MTR. ROAD AS PER ZONAL DEVELOPMENT PLAN
-  90 MTR RING ROAD
-  RING ROAD DEVELOPMENT CORRIDOR